भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4523
जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है ।
29 श्रावण, 1947 (शक)

कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सोशल मीडिया मध्यस्थ हितधारकों के बीच समन्वय

4523. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः
श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और यूट्यूब जैसे मोशन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते दुरुपयोग की जानकारी है, जिनमें धमकी, चरित्र हनन, फर्जी खबरें, विद्वेषपूर्ण भाषण और उत्पीड़न सहित ऑनलाइन दुर्व्यवहार शामिल है और जिनके द्वारा विशेषकर महिलाओं, बच्चों, लोकप्रिय हस्तियों और कार्यकर्ताओं को शिकार बनाया जा रहा है;

(ख) देशभर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फर्जी खबरों और विद्वेषपूर्ण भाषण दिए जाने के संबंध में क्या स्थिति है;

(ग) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जहाँ पीड़ितों द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद ऐसे प्लेटफॉर्म आपत्तिजनक सामग्री को हटाने या अपराधियों का पता लगाने में त्वरित कार्रवाई करने में विफल रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अपमानजनक सामग्री को समय पर हटाने और अपराधियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सोशल मीडिया मध्यस्थों के बीच कोई औपचारिक समन्वय तंत्र मौजूद है;

(ङ) क्या इस संबंध में निगरानी रखने के लिए कोई स्वतंत्र निकाय है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित हो रहे फर्जी या विद्वेषपूर्ण भाषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(च):** सरकार डिजिटल प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों और हानियों के प्रति सचेत है, जिसमें ऑनलाइन दुर्व्यवहार/उत्पीड़न, फेक न्यूज़ और हेट स्पीच फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का दुरुपयोग शामिल है।
उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबरस्पेस सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने निम्नलिखित कानून बनाए हैं जो सोशल मीडिया पर गैरकानूनी सामग्री और प्लेटफॉर्म जवाबदेही के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं:

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम")** – इसमें पहचान की चोरी (धारा 66ग), प्रतिरूपण (धारा 66घ), निजता का उल्लंघन (धारा 66ड.), अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण (धारा 67, 67क, 67ख) जैसे अपराध और विशिष्ट सूचना/लिंक तक पहुँच को अवरुद्ध करने के लिए मध्यस्थों को ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने का प्रावधान (धारा 69क), गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही सूचना को हटाने के लिए मध्यस्थों को नोटिस जारी करने का प्रावधान (धारा 79) शामिल हैं । यह अधिनियम पुलिस को अपराधों की जाँच करने (धारा 78), सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने और संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने और उसे गिरफ्तार करने (धारा 80) का अधिकार देता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021")** – प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही सुनिश्चित करना:
    - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ("एमईआईटीवाई") ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, एआई सहित प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उभरती हानियों को दूर करने के लिए आईटी नियम, 2021 (वर्ष 2022 और 2023 में संशोधित) को अधिसूचित किया।
    - नियमों में मध्यस्थों को उचित सावधानी बरतने तथा स्वयं या उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा गैरकानूनी सामग्री की होस्टिंग या प्रसार को रोकने का आदेश दिया गया है।
    - नियमों के भाग-III में अन्य बातों के साथ-साथ समाचार एवं समसामयिक विषयों के प्रकाशकों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता का प्रावधान है। इसमें केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत पत्रकारिता आचरण के मानदंडों का पालन शामिल है। समाचार एवं समसामयिक विषयों की सामग्री के उपयोगकर्ताओं के लिए एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र भी प्रदान किया गया है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("डीपीडीपी अधिनियम")** - यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत डेटा को उपयोगकर्ता की सहमति और उचित सुरक्षा उपायों के साथ डेटा फ़िड्यूशरीज़ (एआई कंपनियों सहित) द्वारा वैध रूप से संसाधित किया जाता है।
- **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 –** बालकों को यौन दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए:
    - धारा 13 यौन संतुष्टि के उद्देश्य से मीडिया के किसी भी रूप में - चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित या प्रसारित हो - बच्चों के उपयोग को अपराध बनाती है।
      इसमें शामिल हैं:
        - एक बच्चे के यौन अंगों का निरूपण,
        - वास्तविक या नकली यौन कृत्यों में बच्चे का उपयोग (प्रवेश के साथ या बिना),
        - किसी बच्चे का अभद्र या अश्लील चित्रण।
    - धारा 14 में पहली बार अपराध करने पर कम से कम पाँच साल की कैद की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद के मामलों में, सज़ा कम से कम सात साल की कैद और जुर्माने तक बढ़ जाती है। धारा 15 में बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री रखने, संग्रहीत करने या उसकी सूचना न देने पर एक क्रमबद्ध दंड प्रणाली का प्रावधान किया गया है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 ("बीएनएस") -

- इसमें ताक-झांक (धारा 77), पीछा करना (धारा 78), महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना (धारा 79), अश्लील कृत्य और गाने (धारा 296), अश्लील सामग्री की बिक्री, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी किसी भी सामग्री का प्रदर्शन शामिल है (धारा 294) जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है।
- इसके अलावा, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, चाहे मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, या संकेतों या दृश्य रूपांकनों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से (धारा 299) और छद्मवेश द्वारा धोखाधड़ी (धारा 319) जैसे अपराध भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा, धारा 353 का उद्देश्य झूठे या भ्रामक बयान, अफवाहें या ऐसी रिपोर्टें देने पर दंड लगाकर गलत

सूचना और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकना है जिनसे सार्वजनिक शरारत या भय पैदा हो सकता है। संगठित साइबर अपराधों पर भी धारा 111 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

- **स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986** - धारा 4 में विज्ञापनों या प्रकाशनों, लेखों, चित्रों, आकृतियों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने पर दंड का प्रावधान है।

ये अधिनियम और उनके अंतर्गत नियम-निर्माण, जहाँ तक लागू हो, तकनीक-तटस्थ रहते हैं – क्योंकि प्रावधान इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होते हैं कि सामग्री एआई-जनित है या नहीं। इसलिए, एआई-आधारित नुकसान भी मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई योग्य हैं।

सरकार एआई जनित नुकसान से जुड़े मामलों सहित मौजूदा कानूनों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ती है।

- इस दिशा में, दिनांक 26.12.2023 और 15.03.2024 को परामर्शी निदेश जारी किए गए, जिसके माध्यम से मध्यस्थों को आईटी नियम, 2021 के तहत उल्लिखित उनके द्वारा बरती जाने वाले अपेक्षित सावधानी संबंधी दायित्वों के बारे में याद दिलाया गया और दुर्भावनापूर्ण 'सिंथेटिक मीडिया' और 'डीपफेक' सहित गैरकानूनी सामग्री से बचने की सलाह दी गई। इन परामर्शी निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश शामिल हैं-
    - मध्यस्थों को गलत सूचना या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने वाली जानकारी की पहचान करनी चाहिए और उसे हटाना चाहिए, जिसमें डीपफेक का उपयोग करके बनाई गई जानकारी भी शामिल है।
    - उपयोगकर्ताओं को यह भी अवगत कराया जाना चाहिए कि ऐसी सामग्री गलत या भ्रामक हो सकती है।
    - मध्यस्थों को आदेश में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर शिकायत अपीलीय समिति के आदेशों का पालन करना होगा और एक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी।
    - अविश्वसनीय या कम-परीक्षित एआई मॉडल या एल्गोरिदम आदि को भारत में उपयोग के लिए तभी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जब आउटपुट की संभावित अंतर्निहित अविश्वसनीयता को उचित रूप से चिह्नित किया जाए और उपयोगकर्ताओं को ऐसी अविश्वसनीयता के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए।

आईटी नियम, 2021 के तहत प्रमुख प्रावधान:

प्रावधान	**विवरण**
नियम 3 (1) (ख) के तहत प्रतिबंधित जानकारी	होस्टिंग, भंडारण, संचारण, प्रदर्शित या प्रकाशित जानकारी/सामग्री को प्रतिबंधित करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित भी शामिल है: • अश्लील, पोर्नोग्राफ़ी, किसी अन्य की निजता का हनन करना, लिंग के आधार पर अपमानजनक या उत्पीड़न करने वाली, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक, या घृणा या हिंसा को बढ़ावा देना; • बालकों के लिए हानिकारक; • डीपफेक के माध्यम धोखा देना या गुमराह करना; • एआई के माध्यम से दूसरों का प्रतिरूपण करना; • राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा; • किसी भी लागू कानून का उल्लंघन करना।
उपयोगकर्ता जागरूकता दायित्व	मध्यस्थों को सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता अनुबंधों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को गैर-कानूनी सूचना-सामग्री साझा करने के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए, जिसमें सूचना-सामग्री को हटाना, खाता निलंबन या समाप्ति शामिल है।

सामग्री हटाने में जवाबदेही	मध्यस्थों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत के आदेश, सरकारी नोटिस या उपयोगकर्ता शिकायतों पर गैरकानूनी सूचना-सामग्री को हटाने के लिए शीघ्रता से कार्य करना चाहिए।
शिकायत निवारण	• शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए मध्यस्थ • 72 घंटों के भीतर गैरकानूनी सूचना-सामग्री को हटाने के माध्यम से शिकायतों का समाधान करना अनिवार्य है। • गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली, व्यक्तियों का प्रतिरूपण करने वाली या नग्नता दिखाने वाली सूचना-सामग्री को ऐसी किसी भी शिकायत के विरुद्ध 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।
शिकायत अपीलीय समितियां (जीएसी) तंत्र	यदि उनकी शिकायतों का मध्यस्थों के शिकायत अधिकारियों द्वारा समाधान नहीं किया जाता है, तो उपयोगकर्ता www.gac.gov.in पर ऑनलाइन अपील कर सकते हैं जीएसी सूचना-सामग्री मॉडरेशन निर्णयों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।
सरकारी एजेंसियों को मध्यस्थों द्वारा समर्थन	मध्यस्थों को पहचान सत्यापन के लिए, या साइबर सुरक्षा घटनाओं सहित अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने, जांच या अभियोजन हेतु अपने नियंत्रण में जानकारी या अधिकृत सरकारी एजेंसियों को सहायता प्रदान करनी चाहिए।
महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (एसएसएमआई) (अर्थात, भारत में 50 लाख या उससे अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार वाले सोशल मीडिया मध्यस्थ) **के अतिरिक्त दायित्व**	• मैसेजिंग सेवाओं प्रदान करने वाले एसएसएमआई को कानून प्रवर्तन को गंभीर या संवेदनशील सूचना-सामग्री के प्रवर्तकों का पता लगाने में मदद करनी चाहिए। • एसएसएमआई गैरकानूनी सूचना-सामग्री के प्रचार-प्रसार का पता लगाने और सीमित करने के लिए स्वचालित उपकरणों का उपयोग करना होगा। • एसएसएमआई को अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होंगी, स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी, और अनुपालन तथा कानून प्रवर्तन समन्वय के लिए भारत में स्थित भौतिक पते साझा करने होंगे। • एसएसएमआई को स्वतः संज्ञान कार्रवाई करने से पहले स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन, आंतरिक अपील और निष्पक्ष सुनवाई की सुविधा प्रदान करनी होगी।

भारत के बहुस्तरीय साइबर प्रतिक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र में साइबर अपराधों, उपयोगकर्ता शिकायतों और गैरकानूनी सामग्री से निपटने के लिए संस्थागत, नियामक, रिपोर्टिंग और सार्वजनिक जागरूकता तंत्र शामिल हैं:

- **जीएसी** - मध्यस्थों के निर्णयों को चुनौती देने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक अपीलीय मंच प्रदान करना।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) -** राज्यों में साइबर अपराधों से संबंधित कार्यों का समन्वय करता है । यह एक सशक्त एजेंसी है जो आईटी अधिनियम और आईटी नियम, 2021 के तहत डीपफेक सहित गैरकानूनी सामग्री को हटाने या उस तक पहुँच को अक्षम करने के लिए नोटिस जारी करती है।
- **सहयोग पोर्टल (आई4सी द्वारा प्रबंधित)** - मध्यस्थों को स्वचालित, केंद्रीकृत निष्कासन सूचनाएँ भेजने में सक्षम बनाता है। पूरे भारत की सभी अधिकृत एजेंसियाँ गैरकानूनी सामग्री को हटाने का अनुरोध करने के लिए इसका उपयोग करती हैं।
- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल -** नागरिक https://cybercrime.gov.in पर इस पोर्टल के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर केन्द्रित है। डीपफेक, वित्तीय धोखाधड़ी और सामग्री के दुरुपयोग की रिपोर्ट की जा सकती है। एक हेल्पलाइन नंबर 1930 भी उपलब्ध है।

- **सर्ट-इन** - भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) नियमित रूप से डीपफेक सहित एआई से संबंधित खतरों और प्रति-उपायों पर दिशानिर्देश जारी करता है। सर्ट-इन ने नवंबर 2024 में डीपफेक खतरों और डीपफेक से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक उपायों पर एक एडवाइजरी प्रकाशित की है।
- **पुलिस** - पुलिस अधिकारी साइबर अपराधों की जांच करते हैं ।
- **जागरूकता अभियान** - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम), प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के दूसरे मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, प्रत्येक वर्ष 1 से 15 फरवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा और प्रत्येक माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस (सीजेडी) मनाता है, जिसके तहत भारत में नागरिकों के साथ-साथ तकनीकी साइबर समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है ।

आईटी अधिनियम, पोक्सो अधिनियम, बीएनएस और जीएसी, सर्ट-इन और आई4सी जैसी संस्थानों द्वारा समर्थित भारत का साइबर कानूनी ढांचा, उभरते ऑनलाइन नुकसान और साइबर अपराधों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है।

*****